International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(I), January - March, 2023, pp. 87-91

RIGHT TO REPAIR (REPLACEMENT)-THE BURNING POINT

डॉ. सुरेंद्र कुमार नागिया*

प्रस्तावना

हमारे देश में संविधान के अनुसार नागरिकों के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं अधिकारों के तहत सूचना का अधिकार अपने आप में उपभोक्ताओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। वाणिज्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो बहुत सी कंपनियां महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती हैं किंतु वस्तु खरीद के बाद दी जाने वाली सेवाओं को लेकर आज का उपभोक्ता असमंजस में है। यदि कोई उपकरण खराब होता है तो उपभोक्ता उसकी सर्विस को लेकर काफी परेशान रहता है कि उस उपकरण की मरम्मत करवाई जाए या फिर उसको बदला जाए। ज्यादातर उपभोक्ता अपनी शिकायतों को न्यायालय तक ले जाने में संकोच करते हैं। यह समस्या केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से विकसित देशों में भी गंभीर बनी हुई है। महंगे उपकरणों की मरम्मत को लेकर अमेरिका ने राइट टू रिपेयर कानून को मान्यता देकर इस समस्या के निदान के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने राइट टू रिपेयर विधेयक पर दस्तखत करके उन लोगों को राहत देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है। जो ग्राहक महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद उनमें आई समस्या या मरम्मत को लेकर के कंपनियों के साथ वार्तालाप करने या उस उपकरण को कंपनी की वारंटी के अंतर्गत बदलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आजकल मोबाइल, ए.सी, टीवी, वाटर आर.ओ, वाशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों को बनाने की होड़ लगी हुई। कंपनियां इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाजार में उतारने के बाद उनकी सेवाओं के लिए खरी नहीं उतरती हैं। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता को राहत देने के लिए राइट टू रिपेयर जैसा कानून भारत में लाना अति आवश्यक है।

* एसोसिएट प्रोफेसर, पीसीएलएस राजकीय महाविद्यालय करनाल, हरियाणा।

राइट टू रिपेयर विधेयक क्या है

कंपनियां जानबूझकर ऐसे उत्पाद का निर्माण करती हैं जो जल्दी खराब हो जाएं या फिर बाजार में उस खराब का पार्ट कोई भी विकल्प मौजूद नहीं होता। ऐसे में उपकरण बिल्कुल कबाड़ बन जाता है जोकि ग्राहक को तो धन और मानसिक परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। बल्कि उपकरण जब खराब होता है तो वह कबाड़ की शक्ल ले लेता है जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है।

आजकल तकनीकी विकास में कुछ कंपनियां जानबूझकर आया राम गया राम वाली कहावत पर खरी उतरती हैं। ऐसी कंपनियों का उद्देश्य केवल अपने उपकरणों को जल्दी बाजार में उतारने की होड़ में उस उपकरण की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देती और ना ही इन कंपनियों का इतना बड़ा नेटवर्क होता है कि वह उपकरण को बेचने के बाद उसकी मरम्मत या रिपेयर की सेवाओं को विकसित कर सके। ऐसी कंपनी बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं तथा बड़ी कंपनियों की साख पर भी इन छोटी कंपनियों के उपकरणों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है।

शोध पेपर का उदेश्य

- डिजिटल इलक्ट्रोनिक बर्बादी के बारे में जागरूकता।
- डिजिटल इलक्ट्रोनिक बर्बादी से बचने के लिए कानून बनाने बारे।
- भारत जैसे देश में कानून बनाने की अति आवश्यकता।

दुनिया के लगभग एक दर्जन से ज्यादा देश राइट टू रिपेयर विधेयक को लाने की सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह राइट टू रिपेयर विधेयक नई बात है यू.के. व यूरोपियन यूनियन में भी बीते पिछले सालों में ऐसा विधेयक ला चुके हैं। जिनके तहत कंपनियां ऐसे उत्पादों का निर्माण करेंगे जो ज्यादा टिकाऊ हो या फिर मशीन कम से कम 10 साल तक बिना किसी परेशानी के काम करती रहे व उस मशीन के कलपुर्जे बाजार में उपलब्ध कराने होंगे।

अमेरिका के 50 राज्यों में इस विधेयक को लाया गया है। विधेयक आने के बाद अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमिशन उन सभी नियमों को बदल सकेगा जिसके तहत कंपनियां किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कम से कम समय में बिगड़ने पर उसे सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। कंपनी चाहे महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने की हो या महंगी कार निर्माता कंपनियां विधेयक सभी कंपनियों पर समान रूप से काम करेगा हो सकता है कि कुछ बड़ी निर्माता कंपनी राइट टू रिपेयर विधेयक का विरोध करें क्योंकि कुछ ब्रांडिंग महंगी कंपनियां अपनी सुरक्षा और डिवाइस की सुरक्षा सिक्योरिटी कोड को खतरे में नहीं डालना चाहती किंतु यह सब कुछ बड़ी कंपनियों का एकाधिकार बनाए रखने का खेल भी हो सकता। राइट टू रिपेयर कानून में लगातार विभिन्न देशो के लगभग 27 राज्य इसको अपनाने की पहल कर चुके है। राइट टू रिपेयर अवधारणा को अलग अलग देश विभिन्न नाम जैसे फ्रांस राइट में रेपैरेब्लिटी स्कोरिंग सिस्टम, राइट टू रिपेयर एक्ट –2003 एवम 2012।

यूरोपियन पार्लियामेंट ने उपभोक्ता के अधिकारों में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को ठीक करवाने की सिफारिशें सिर्फ कंपनी के म्बवकमेपहद क्पतमबजपअम –2009 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स बर्बादी जो कि वातावरण के लिए

घातक में शामिल कि है यूरोपियन यूनियन ने अपने नए सुचनापत्र में ''सर्कुलर इकॉनमी एक्शन प्लान '' 2020 अपने नागरिको कि सहायता के लिए इस प्लान में विशेष अधिकार जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को बदलना तथा अतिरिक्त उच्च मानक उत्पाद प्रदान करना जैसी सुविधाओं के लिए बाध्य होंगे।

डिजिटल राइट टू रिपेयर गठबंधन –2013 यूनाइटेड स्टटेस ने ''मइेपजम तमचंपत.वतह'' के नाम से इस वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को रिपेयर –फ्रेंडली कानून, मानक, नियमावली एवं व्यवयसिक नीतियों के तहत उपभोक्ताओं के हितो कि रक्षा सुनिश्चित की गई। इस गठबंधन की एडवाइजरी बोर्ड में सभी मेंबर्स विभिन्न विभाग जैसे इंडस्ट्री विशेषज्ञ रिपेयर, साइबर सिक्योरिटी, कॉपीराइट लॉ, मेडिसिन, कृषि, अंतराष्ट्रीय व्यापार, उपभोक्ता अधिकार, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स बर्बादी, इको–डिजाइन मानक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड विधान–सम्बन्धी एडवोकेसी आदि।.

राइट टू रिपेयर विधेयक का विरोध भी कई बड़ी इंडस्ट्रीज द्वारा किया जा रहा है। जैसे कंजूमर टेक्नोलॉजी, कृषि ,घरेलू उपकरण तथा मेडिकल उपकरण से जुड़े हुए विरोधी ग्रुप जैसे टेक्नेट तथा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन वह इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एलाइंस और सिक्योरिटी इन्नोवेशन सेंटर आदि। फेडरल ट्रेड कमिशन ने अपनी रिपोर्ट निक्सिंग द फिक्स मई 2021 में जारी की जिसमें लगभग सभी कारपोरेशन नीतियों में बदलाव करके व्यापार के नियमों में ढील दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बिडेन ने इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके वास्तव में अमेरिका की इकॉनमी में बढ़ती हुई प्रतियोगिता में मील का पत्थर साबित होगा।

फेडरल ट्रेड कमिशन वास्तव में उन सभी उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पॉलिसी के तहत उन सभी कंपनियों पर अपना अधिकार से अपने उत्पाद को बदलवा सकेगा या फिर उसकी रिपेयर करवा सकेगा। जिन कंपनियों ने अपना इंडिपेंडेंट रिपेयर का अधिकार सीमित किया हुआ है।

राइट टू रिपेयर विधेयक के खिलाफ लॉबिंग

कुछ बड़ी कार निर्माता कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मर्सिडीज, ऑडी व महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाने की कंपनियां इस विधेयक का विरोध कर सकती हैं क्योंकि थर्ड पार्टी या स्थानीय मैकेनिक डिवाइस की सर्विस शुरू करने से उनकी बौद्धिक संपदा का हनन हो सकता है। इसलिए ऐसी बड़ी कंपनियां राइट टू रिपेयर विधेयक के खिलाफ लॉबिंग कर रही हैं किंतु उपभोक्ता बाजार का प्रमुख राजा है और उपभोक्ता जब तक किसी वस्तु के उपयोग से संतुष्ट नहीं होगा। तब तक वह दोबारा उस उपकरण को कभी भी नहीं खरीदेगा। अतः हमें उपभोक्ता को बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानकर अपने उपकरणों में अच्छी क्वालिटी और विश्वास के साथ उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाओं को सर्वो उपयुक्त स्थान देना पड़ेगा।

राइट टू रिपेयर विधेयक से बचने के लिए बड़ी कंपनियां विशेष प्रलोभन दे रही हैं। एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां ई–वेस्ट को घटाने का काम कर रही है और साथ ही 200 से अधिक देशों में अपनी मुफ्त मरम्मत प्रदाता जैसे कार्यक्रमों का विस्तार कर रही हैं। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी अपने सरफेस लैपटॉप की बैटरी तथा हार्ड ड्राइव में सुधार करने की बातें कर रही हैं। राइट टू रिपेयर विधेयक के समर्थन में कुछ बड़ी कंपनियां भी अपना सहयोग करने के लिए आगे आई हैं।

भारत जैसे देश में राइट टू रिपेयर विधेयक की खास जरूरत है क्योंकि अगर कंपनियां ऐसे ही उत्पाद बनाती रही जिनको सुधारना लगभग नामुमकिन है या फिर उन्हीं कंपनियों से ही उस उपकरण की मरम्मत हो सकती है। जिस कंपनी ने उस उपकरण को बनाया है तो यह सरासर गलत होगा इस तरह कंपनियों की इस जबरदस्ती को रोकने के लिए भारत में राइट टू रिपेयर कानून जल्द से जल्द लाने की आवश्यकता है।

भारत जैसे देश में राइट राइट टू रिपेयर जैसे कानून को लाने में देरी हो सकती है किंतु यह कानून वास्तव में उन परेशान उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगा जो महंगे उपकरणों को खरीदते हैं तथा खरीदने के बाद खराब होने पर न्यायालयों के चक्कर काटते हैं या फिर कंपनी के साथ लड़ाई करते हैं क्योंकि कानून बनने के बाद कानून के नियमों में सभी कंपनियां अपने उपकरणों को निर्धारित मापदंड के अनुसार ही निर्माण करेंगी और निर्माण के बाद उन खराब उपकरणों की सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध होगी अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडे

ने वास्तव में राइट टू रिपेयर जैसे कानून को मान्यता देकर हजारों लाखों परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने का बहुत बड़ा कदम उठाया है। अतः हमें भी भारत में राइट टू रिपेयर जैसा विधेयक लाने के लिए मंच पर बहस करने की आवश्यकता है राइट टु रिपेयर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, संगोष्ठी व् खुले मंच पर बहस होना अति आवयश्क है ताकि नए विचार नई सोच और नई दिशा में उचित कदम उठाए जा सके।

डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कानून के बारे में

- स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों के लिए यह जबरदस्त खबर है, क्योंकि अब उन्हें निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी, जो कि मरम्मत बाजार की एकाग्रता का विरोध करते हुए निर्माताओं ने भागों और उपकरणों तक पहुंच को सीमित करके स्थापित किया है।
- हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 'राईट टू रिपेयर' की मंजूरी के बिना, 59 प्रतिशत स्वतंत्र मरम्मत फर्मों ने दावा किया कि उन्हें अपने दरवाजे बंद करने पड़ सकते हैं।
- बिल में अधिकांश विद्युत उपकरण शामिल हैं, हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं।
- ऑटोमोबाइल (जो वर्तमान में ओईएम और आफ्टरमार्केट के बीच एक राष्ट्रव्यापी राईट टू रिपेयर समझौते द्वारा कवर किए गए हैं), घरेलू उपकरण, चिकित्सा गैजेट, सार्वजनिक सुरक्षा संचार उपकरण जैसे पुलिस रेडियो, कृषि उपकरण और ऑफ–रोड उपकरण शामिल नहीं हैं।

केंद्र की मोदी सरकार देश की उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही 'राइट टू रिपेयर' (त्पहीज जव त्मचंपत) कानून लाने की तैयारी कर रही है। नाम सुनकर ही मन में सवाल उठता है कि यह 'राइट टू रिपेयर' कानून क्या है। इस कानून से कस्टमर्स को किस तरह का फायदा मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनियों पर इस कानून का क्या असर पड़ेगा। कस्टमर्स की सुविधा के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 'राइट टू रिपेयर' कानून पर काम करना शुरू कर दी है। जैसा की इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह कस्टमर्स को एक अपने खराब सामान को बनाने में मदद करेगा।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि चीजें खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह इसे ठीक करने के लिए वह किसी सर्विस सेंटर में ले जाता है तो 'राइट टू रिपेयर' के तहत उस सर्विस सेंटर को उस गैजेट को ठीक करके देना होगा। वह उसे यह कहकर ठीक करने मना नहीं कर सकता कि वह पार्ट पुराना हो गया है और उसे अब रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कंपनी ग्राहक को नया सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। 'राइट टू रिपेयर' कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने से मना नहीं कर सकती है।

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

कई बार कंपनियां नई गैजेट्स बनाने लगती हैं और पुराने का पार्ट मार्केट में मिलना बंद हो जाता है। ऐसे में ग्राहक को रिपेयर चार्ज देने के बजाय नए सामान का चार्ज देना पड़ता है। ऐसे में कस्टमर पर इस कारण वित्तीय बोझ बढ़ता है। इस नए कानून के बाद अब कंपनियों को किसी सामान के नए पार्ट्स के साथ–साथ पुराने पार्ट्स भी रखने होगा। इसके साथ ही यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी वह पुराने पार्ट्स को बदलकर आपके खराब सामान को ठीक करें। इसे ग्राहकों को बिना कारण नए सामान को खरीदने से छुटकारा मिलेगा और वह मजबूरी में नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मजबूर नहीं होगा।

सरकार जल्द लाएगी कानून

सरकार इस कानून पर लगातार काम कर रही है। उपभोक्ता विभाग ने इसके लिए एक समिति गठन की है। इस पैनल की पहली बैठक 13 जुलाई 2022 को हुई है। इस कानून में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरण आदि कई चीजें शामिल है। इस कानून के जरिए सरकार पुरानी चीजों को हटाने की संस्कृति को बदलना चाहती है।

केंद्र सरकार के इस कानून को लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कंपनियां ग्राहकों के पुराने उत्पादों को रिपेयर करने से इंकार नहीं कर सकेंगी। वर्तमान में ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट्स को यह कहते हुए रिपेयर करने से मना कर देती हैं कि इनके पार्ट्स आने बंद हो गए हैं।

इस कानून के तहत ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। इसके दायरे में मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ए.सीए फर्नीचर, टेलीविजन और इसी तरह के कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट शामिल होंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल और कृषि से जुड़े इक्विपमेंट भी इसके दायरे में लाए जाएंगे।

उपभोक्ता का फायदा होगा और कंपनी की जिम्मेदारी बढ़ेगी

अगर इनमें से कोई सामान खराब हो जाता है तो कंपनी का सर्विस सेंटर इन्हें रिपेयर करने से इंकार नहीं कर सकेगा। भले ही वह नया गैजेट या पुराना सामान इतना ही नहीं, कंपनी को नए सामान बेचने के साथ पुराने सामान के पार्ट भी रखने होंगे। पुराने पार्ट को ठीक करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। कंपनी इससे इंकार नहीं कर सकेगी।

कानून लाने की आवश्यकता अनिवार्य

देश में पुराने सामान और गैजेट्स के कारण ई–कचरा बढ़ रहा है। भारत में हर साल करीब 10 लाख टन ई–कचरा होता है। इससे सीधे तौर पर हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इस तरह नए कानून की मदद से सरकार ई–वेस्ट को घटाएगी और लोग बेवजह नई चीजों को खरीदने के लिए मजबूर नहीं होंगे।

भारत यह कानून लाने वाला पहला देश नहीं है. इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में इसे लागू किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र (UN) के मुताबिक, 2019 में दुनियाभर में 5.36 ई–कचरा (E-waste) फेंका गया है। इसमें से मात्र 17.4 फीसदी की रिसायकल किया जा सका है। पिछले कई सालों से तुलना करें तो हर साल ई–वेस्ट 4 फीसदी की दर से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश में भी ई–वेस्ट को रोकने और कंज्यूजर के अधिकारों को बढ़ाने के लिए यह कानून लाने की तैयारी की जा रही हैं।

References

Reports/Newspaper /Websites

1. Gault, Matthew (December 14, 2018). "Protesters Are Slowly Winning Electronics Right-to-Repair Battles in Europe". October 1, 2019.
2. Matsakis, Louise (July 5, 2017). "The European Parliament Wants Europeans to Have the Right to Repair". October 1, 2019.
3. Harriban, Roger (October 1, 2019). "EU brings in 'right to repair' rules for appliances". BBC. October 1, 2019.
4. Peltier, Elian (March 12, 2020). "Europe Wants a 'Right to Repair' Smartphones and Gadgets". The New York Times.
5. Espiner, Tom; Wearn, Rebecca (July 1, 2021). "Right to repair rules will extend lifespan of products, government says". BBC. Retrieved July 1, 2021.
6. "Apple Is Using France's New Repairability Scoring—Here's How It Works". iFixit. 2021-08-07.
7. www.righttorepair.com
8. "CARE - Right to Repair in Congress". www.careauto.org.
9. "NY State Senate Bill S3998B". NY State Senate. 2016-03-04. Retrieved 2021-08-09.
10. "Legislation". The Repair Association. Retrieved 2021-08-09.
11. Leon, Nicholas De. "It's Now Okay to Bypass DRM Software to Fix Gadgets, but Right-to-Repair Fight Isn't Over". Consumer Reports. Retrieved 2021-08-10

❖◆❖